5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. / निगरानी / 15

निगरानी 1551-II-15

1.हजारीलाल आ0 श्री पन्ना
2.श्रीमती शैतानबाई पत्नी श्री गौरीलाल
निवासीगण ग्राम रोंसला तहसील पचौर
जिला राजगढ म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

राधाबाई पुत्री श्री कन्हैयालाल (अवयस्क)
द्वारा माँ एवं सरंक्षिका श्रीमती कन्ताबाई पत्नी
कन्हैयालाल निवासी ग्राम रोंसला तहसील पचौर
जिला राजगढ म0प्र0 ....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील सारंगपुर जिला राजगढ द्वारा उनके प्रकरण 19 / अपील / अ–6 / 15 में पारित आदेश दिनांक 25 / 05 / 15 से असन्तुष्ट एवं दु:खी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोंसला जागीर जिला राजगढ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 521 / 2 / 2 रकबा 1.536 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक क0 1 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । आवेदक क0 1 द्वारा उक्त भूमि पजींकृत विकय पत्र दिनांक 04 / 05 / 2009 के द्वारा आवेदक क0 2 को विकय कि गयी । आवेदक क0 2 द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के उपरान्त नामान्तरण पंजी क0 03 दिनांक 15 / 12 / 2009 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपना दर्ज करवाया गया। तब से निरन्तर आवेदक क0 2 विवादित भूमि पर काबिज होकर शान्तिपुर्वक कृषि कार्य कर रही है । वर्ष 2015 में अनावेदक द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1551–दो/15 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक		कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2016		आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण कमांक 19/अ–6/15 में पारित आदेश दिनांक 25–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रकरण के साथ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक का मुख्य रूप से तर्क है कि तहसील न्यायालय से नामांतरण 06–2–10 को हो गया था। अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 6 साल बाद अपील प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मान्य करने में त्रुटि की है। अनावेदिका ने व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत भरण पोषण दावे में दिनांक 24–7–12 प्रस्तुत आवेदन में स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि संयुक्त परिवार की भूमि सन् 2011 में शैतानबाई के नाम अंतरिम हो गई है। अतः अनावेदिका को उक्त नामांतरण आदेश की जानकारी 2012 के पूर्व ही हो	

गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय ने पंजी कमांक 3 आदेश दिनांक 06–2–2010 से आवेदिका शैतानबाई का नामांतरण हुआ है। चूंकि पंजी नामांतरण किया गया है अतः अनावेदिका कांताबाई को आदेश की जानकारी होना परिलक्षित नहीं है। जहां तक आवेदक अभिभाषक को व्यवहार न्यायालय में भरण पोषण दावे में प्रस्तुत आवेदन में लिखे तथ्य का प्रश्न है। यह दावा कान्ताबाई एवं अंतरबाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील राधाबाई द्वारा प्रस्तुत की गई है। आवेदन पत्र में यह लेख है कि प्रतिप्रार्थी ने सर्वे कमांक 521/2/2 रकबा 1.536 हे0 सन 2011 में प्रतिप्रार्थी कमांक 2 की पत्नी शैतानबाई के नाम अंतरित कर दिया है। इससे यह स्पष्ट है उसे 2011 में विकय की जानकारी थी परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदिका को विकय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी पर हुई आदेश की जानकारी थी। चूंकि नामांतरण पंजी पर हुई आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने

न्यायाहित में समय–सीमा में माना है। अुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई गंभीर अनियमितता प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होती है जिससे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप किया जाये। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर होना जहां आवेदकों को अपना साक्ष्य एवं पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य